UPMB010002652025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,सी०ए०डब्लू०,महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 2700
दाण्डिक निगरानी संख्या–14/2025

देवेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला कुल्लाई पहाड़िया श्रीनगर थाना श्रीनगर जिला महोबा (उ०प्र०) .....निगरानीकर्ता

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा–438/442 बी०एन०एस०एस०
थाना–श्रीनगर,जिला महोबा

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता देवेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महोबा जिला महोबा के वाद संख्या–17/2024 सिलसिला नम्बर 100/2024 सरकार बनाम देवेन्द्र सिंह धारा – 129 बी०एन०एस०एस० थाना श्रीनगर में पारित आदेश दिनांकित 05.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, आक्षिप्त आदेश से विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट,महोबा द्वारा निगरानीकर्ता को एक वर्ष के लिए सदाचार बनाये रखने के नोटिस धारा 130 बी०एन०एस०एस० जारी किया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर जिला महोबा शिवपाल सिंह ने एक चालानी रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट के यहां इस प्रकार की प्रेषित की कि देवेन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी मुहल्ला पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा का मूल निवासी है। यह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अपनी आम सोहरत के लिए अपने गाँव में व्यक्तियों के साथ गाली–गलौच कर मारपीट करने व जाने से मारने की धमकी देने का अभ्यस्त अपराधी है। यह व्यक्ति प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपराधिक कृत्यों में संलिप्त है। इसके भय व आतंक के कारण आम जनता के लोग इसके विरूद्ध थाने में सूचना देने एवं न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं इसका जनहित में स्वतंत्र रहना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण पाना नितांत आवश्यक है। इसके विरूद्ध थाना श्रीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 181/24 धारा 115(2), 352, 117(2) बी०एन०एस० व 3(1) द,ध व 3(2)5 क एस०सी०/एस०टी०एक्ट दर्ज है। अतः अपराधी देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध मु०सि०सि०नं०

100/2024 धारा 129 बी०एन०एस०एस० पंजीकृत कर चालान द्वारा चालानी रिपोर्ट न्यायालय किया जाता है अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर दण्डित करने की कृपा करें। उक्त चालानी रिपोर्ट से संतुष्ट होकर उप जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 130 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत नोटिस जारी किया है।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अन्तर्गत धारा 130 B.N.S.S. दिनांकित 05.11.2024 कतई विधि अनुकूल नहीं है। उपजिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा धारा– 130 B.N.S.S. के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.11.2024 पारित किया गया है जो सर्वथा अविधिक है और कतई धारणीय नहीं है। धारा 129 B.N.S.S. में आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने का प्रावधान है, कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस धारा में उल्लिखित अपराध करने में संलिप्त रहता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाये। धारा 130 B.N.S.S. आदेश के दिये जाने से सम्बन्धित है– के अनुसार "जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाये कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा। उपजिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एक न्यायिक आदेश है उपजिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का कतई सही प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश पारित न करके एक सामान्य मुद्रांकित आदेश में खाली स्थान पर 130 B.N.S.S. भरकर मात्र हस्ताक्षर बनाकर एक औपचारिक आदेश पारित किया गया है, जो धारा 130 B.N.S.S. के Mandatory प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस प्रकार प्रश्नगत आदेश पूर्णतः अवैधानिक है। अन्यथा भी निगरानीकर्ता एक सभ्य और शांतिप्रिय व्यक्ति

है, उसका कभी कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है, उसको व्यक्तिगत रंजिश के कारण अभी वर्ष 2024 में ही चालानी रिपोर्ट में अंकित मात्र एक आपराधिक मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर झूठा मामला लगाया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। निगरानीकर्ता कतई अभ्यस्तता एवं दुस्साहसिक व भयंकर अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है और उसके बिना प्रतिभूति स्वतंत्र रहने में समाज में कोई संकट उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपने न्याय क्षेत्र का सही उपयोग न करते हुए एवं न्यायिक मस्तिष्क का सही प्रयोग न करते हुए औपचारिक रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। जिससे निगरानीकर्ता को सख्त हकतलफी है और प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है और प्रश्नगत आदेश के अनुपालन में की जा रही समस्त कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। उपजिला मजिस्ट्रेट/कार्यापालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश सर्वथा अविधिक, अनियमित एवं अनऔचित्तपूर्ण है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट,महोबा के आदेश दिनांक 05.11.2024 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. विपक्षी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने तर्क किया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है और प्रश्नगत आदेश की पुष्टि करते हुये निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली व प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। धारा 130 बी०एन०एस०एस० में यह प्रावधान है कि **''"जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाये कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा"**। आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.2024 में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस धारा 130 बी०एन०एस०एस० एक छपे हुये प्रोफार्मे में है जिसमें मात्र अभियुक्त का नाम, वल्दियत तथा पता पेन से अंकित है। घटना से सम्बन्धित इत्तिला का सार में मात्र यह टाइपशुदा अंकित है कि आप एक अभ्यस्त और आदतन व शातिर अपराधी हैं। चालानी रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रार्थी के आपराधिक इतिहास में मात्र एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 181/24 होना दर्शायी गयी है। ऐसी दशा में अभ्यस्त व आदतन अपराधी होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्राप्त

चालानी रिपोर्ट में घटनास्थल, दिनांक, समय भिन्न–भिन्न शब्द द्वारा अंकित किया गया है। परन्तु एकमात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कारित घटना एक से अधिक होना सम्भव नहीं है। धारा 130 बी०एन०एस०एस० का स्पष्ट प्रावधान है कि सम्बन्धित व्यक्ति को घटना का सार सूचित किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं के माध्यम से आदेश पारित किये जा रहे हैं कि The order is on cyclostyled Proforma with certain blanks which have been filled in with pen and ink by someone and simply initialled is illigal. ऐसी दशा में विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा प्रेषित नोटिस धारा 130 बी०एन०एस०एस० अपास्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.112024 निरस्त की जाती है। सम्बन्धित न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह निगरानी में पारित आदेश के आलोक में पुनः सुनवायी सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाये। निगरानीकर्ता अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थित हो।

दिनांकः 04.06.2026 **(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 04.06.2026 **(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 09:07:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court